

62891/2023

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

18/10/23
4456

C.E(P)
18/10/23
प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.

ई पत्रावली संख्या-62332

SSO(P) II
12/10/23
Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 18 अक्टूबर 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड फिजिबिलिटी सर्वेक्षण के कार्य (प्रथम चरण) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (RFQ एवं TOR के अनुसार)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-I/143575/2023 (ई पत्रावली संख्या-41997) दिनांक 03 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत कार्य (मार्ग की कुल लम्बाई 197.60 किमी 0 + 4 नं० 2-लेन सेतु 36 मीटर स्पान, कुल लागत ₹38.25 लाख) के फिजिबिलिटी सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. चम्बा द्वारा दिनांक 31.07.2023 द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी हेतु टू-बिड प्रक्रिया के तहत ई-टेंडर के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी। उक्त निविदा प्रक्रिया में दो निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें Most Preferred Bidder (H1) की ₹ 69.79 लाख + 18% GST सहित कुल ₹ 84.44 लाख की निविदा प्राप्त हुई, जो कि पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 38.25 लाख से ₹ 46.19 लाख अधिक है। उक्तानुसार पूर्व स्वीकृत लागत ₹38.25 लाख में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा फिजिबिलिटी सर्वेक्षण कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विषयगत पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर औचित्यपूर्ण पायी गयी सम्पूर्ण लागत ₹84.44 लाख (₹46.19 लाख अतिरिक्त लागत + ₹38.25 लाख पूर्व स्वीकृत लागत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या- I/143575/2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 38.25 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹84.44 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 46.19 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 03.08.2023 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।
- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अ.प्र. 20/10/23
214

33068

AO
29/10

91/2023

- iii. विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- iv. पुनरीक्षित आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- vi. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रैक्टिस-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- vii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0301 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-I/162807/2023 दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 18-10-2023 15:27:40

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, लो.नि.वि., नई टिहरी।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., चम्बा।
9. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwwd@nic.in



पत्रांक- 1222/20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक- 21.10.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता 8 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्बा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।